Speed Post 314846071

THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

Pen-og Seal Authority No:- 35 Dated - 14.11.2017

Pr. [Acc]ountant General (A&E),
Andhra Pradesh & Telengana, Saifabad, Hyderabad-500004

[Revision] of Dearness relief of State Government Pensioners,

Govt. Resolution No.

(1) Increase of DR for Pensioners/F.P 4% to 5% w.e.f 1.7.2017
(2) " " " " (UN revised) 5th CPC 264% to 268% w.e.f 1.7.2017
(3) " " " " " " 6th CPC 136% to 139% w.e.f 1.7.17
(4) Increase of Medical Allowance 200/- to 1000/- w.e.f 20.10.17.

[I am to] forward herewith Hindi/English version of copies of Govt. of Bihar, [Re]solution No. .... Dated .... for your needful action.

[You are] requested to circulate this order to all Treasuries/Sub Treasuries and [B]anks in your Jurisdiction for necessary action.

[Please] acknowledge the receipt of the same with enclosure

(1) संख्या - 3 ए - 2 - वे०पु० - (अहा) - 08/2013 - 8392/दि० 25.10.17
(2) " " " " " " - 8398/दि० 25.10.17
(3) " [of Bihar Govt.] " " " " " - 8399/दि० 30.10.17
(4) संख्या - वि० (27) पे० का० - (पुन०) 22/2017 दिनांक 30.10.17

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

Date

[Pe]n-IX-Spl.-Bihar

[Copy forwarded] for information and necessary action to:

[1. Secr]etary to the Govt. of Bihar, Finance Deptt., Patna

[2. Gen.] Secretary, Bihar Pensioner Samaj, Vidya Vasini Sadan, [...] Patna-800013.

[3. O]ffice of F. I. N. Pension-I

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

PM OG TS

184

O/o Prl. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
14-NOV-17

4 9 3 5 6 3

493563

pen-01(Gen) D3 - 847

संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-8398/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-25.10.2017

विषयः- पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक-01/07/2017 के प्रभाव से 264 प्रतिशत के स्थान पर 268 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति।

31 OCT 2017 PATNA

वित्त विभाग के संकल्प सं०-3168, दिनांक-05/05/2017 के द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक-01/07/2016 के प्रभाव से 256 प्रतिशत तथा दिनांक-01/01/2017 के प्रभाव से 264 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक-1(3)/2008-E-II(B), दिनांक-26/09/2017 द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01/01/2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01/07/2017 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृत दर 264 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 268 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई है ।

pen-01/GM 31/10

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी पद पर एवं उसी तिथि से करती रही है ।

4. उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि-

(i) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी दिनांक-01/07/2017 के प्रभाव से अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन में 264 प्रतिशत के स्थान पर 268 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की जाय ।

(ii) दिनांक 01/01/2006 के पूर्व एवं दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01/01/2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01/07/2017 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 264 प्रतिशत से बढ़ाकर 268 प्रतिशत कर दिया जाय ।

CCR Chy 07/11/17

(iii) मंहगाई भत्ता/राहत का भुगतान मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित किया जायगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता अनमान्य नहीं होगा ।

011117 H0560

(iv) मंहगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

5. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशन भोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वाले को भी यह राहत देय होगी।

6. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

7. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश- **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- **8398/वि०** पटना, दिनांकः-**30.10.2017**

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

Pen-01 (पेन) B- 848

संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-**8392**/वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-25.10.2017

विषय:- **पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2017 के प्रभाव से 4 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-वि०(27)-ऐ०को०-(पुन०)22/2017-**381**/वि०, दिनांक-23/05/2017 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/04/2017 के प्रभाव से 4 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०- 1/9/2017-E-**II**(B) दिनांक-20/09/2017 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2017 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2017 के प्रभाव से 4 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की जाय।

(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय,

3A\DA 5% /Anil

01117H0542

पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

5. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

6. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

7. दिनांक-01/07/2016 के प्रभाव से स्वीकृत महंगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- **8392/वि०** पटना, दिनांक:-**25.10.2017**

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

Pen-01 (Gen) D5-892

(27)

पत्र संख्या-वि0(27) पे0को0-(पुन0)22/2017

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

पटना दिनांक

शिव शंकर मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव ।

A.G.B.
07 NOV 2017
PATNA

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी ।

विषय- राज्य सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को भुगतेय चिकित्सा भत्ता के संबंध में स्पष्टीकरण ।

प्रसंग- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-754 एवं 755, दिनांक-20.10.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु निर्गत वित्त विभागीय संकल्प संख्या-754 एवं 755, दिनांक-20.10.17 की क्रमशः कंडिका-4 एवं 5 में उल्लिखित है कि " पेंशनर/परिवार पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता के रूप में वह राशि अनुमान्य होगी जो राज्य के सेवारत कर्मियों के संदर्भ में सरकार द्वारा लागू की जायेगी ।"

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों को प्रतिमाह रू0 1,000 (एक हजार) चिकित्सा भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है ।

3. अतः उपर्युक्त वित्त विभागीय संकल्पों के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को भी चिकित्सा भत्ता के रूप में प्रतिमाह रू0 1,000 (एक हजार) भुगतेय होगा जो संकल्प (754/755) के निर्गत की तिथि-20.10.2017 से प्रभावी होगा ।

CSP
Immediate
M.
Chg
08/11/17

विश्वासभाजन,

ह0/-
(शिव शंकर मिश्र)
सरकार के विशेष सचिव ।

....2

sanjay ji/santosh | 1

(27)

ज्ञापांकः वि0(27) पे0को0-(पुन0)22/2017 764 पटना, दिनांकः 30-10-17

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद/सभी पेंशन प्रदायी बैंक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(शिव शंकर मिश्र)
सरकार के विशेष सचिव ।

M.B
30-10-17

A.G.B.
07 NOV 2017
PATNA

081117H0816